



आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

पत्रांक :- 1441/बी0एफ0एच0/12/10-11

दिनांक 25.05.18

पूर्णता प्रमाण पत्र

लोहामण्डी वार्ड में स्थित खसरा संख्या-492, 493, 506, 507, 508, 561, मौजा-मऊ पर निर्मित ग्रुप हाउस के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण पत्र (आवेदक पत्र के भाग अ, ब, स, द) का परीक्षण नगर नियोजक/अवर अभियन्ता द्वारा कर लिया गया है। निर्माण कार्य प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्र संख्या-1441/बी0एफ0एच0/12/10-11, दिनांक 06.03.14 व शमन मानचित्र दिनांक 11.02.15 के अनुरूप सही पाया गया है। अतः उपाध्यक्ष महोदय के आदेश दिनांक 24.05.18 के क्रम में उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-15क(2) के अनुसार पूर्णता प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ जारी किया जाता है कि अपार्टमेन्ट एक्ट के सभी प्राविधान लागू रहेंगे तथा संरचनात्मक गुणवत्ता आदि का पूर्ण उत्तरदायित्व विकासकर्ता का होगा। माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.05.17 व 29.08.17 का अनुपालन करना होगा एवं भविष्य में किसी विभाग की देयता निकलती है तो पक्ष को देय होगी।

Hclaw

(एन0के0 चौधरी)

अधिशाली अभियन्ता(भवन)

आगरा विकास प्राधिकरण

आगरा

(क0पी0 सिंह)

अवर अभियन्ता

(श्री देशराज सिंह)

अवर अभियन्ता